राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 08/2021

दायर दिनांकः-08.01.2021

1. श्रीराम पुत्र छीतर जाति गुर्जर आयु 66 वर्ष, निवासी पालडी पठानान तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

.........वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम बाबत राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती हेतु

निर्णय

दिनांक 05.10.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पालड़ी पठानान पटवार हल्का पींगलोद भू0अ0नि0 क्षेत्र करकेडी तहसील रूपनगढ़ में स्थित भूमि के खाता संख्या 136 में खसरा नम्बर 96, 97, 98 रकबा 2.6129 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 7/96, खाता संख्या 98 में खसरा नम्बर 203, 429/203 रकबा 2.9124 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 7/24, खाता संख्या 134 में खसरा नम्बर 366/30 रकबा 2.9933 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 9/592, खाता संख्या 132 में खसरा नम्बर 227 रकबा 0.0728 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 7/96 व खाता संख्या 242 में खसरा नम्बर 99 रकबा 0.5015 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 7/96 दर्ज है। उपरोक्त खसरान में वादी का नाम हरिराम पुत्र छीतर का इन्द्राज किया हुआ जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम श्रीराम पुत्र छीतर है। इसलिए सहवन से वादी का नाम श्रीराम पुत्र छीतर के स्थान पर हरिराम पुत्र छीतर दर्ज हो गया था। वादी के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती करवाना चाहता है। वादी के पहचान कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जॉबकार्ड, राशन कार्ड,जनआधार कार्ड व जमाबंदी आदि रिकार्ड में श्रीराम पुत्र छीतर नाम दर्ज है। वादी के खसरा नम्बरान में नाम हरिराम पुत्र छीतर दर्ज होने से तथा वादी का अलग अलग नाम होने से वादी को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने मे एवं अपनी कृषि भूमि के विकास करने में व राज्य सरकार द्वारा दिये [illegible] सुविधाएं, मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जबकि उक्त श्रीराम [illegible] व हरिराम पुत्र छीतर दोनों नाम का वादी एक ही व्यक्ति है। इसके संबंध [illegible] सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त वाद वर्णित आराजी में वादी का नाम [illegible]रिराम पुत्र छीतर का इन्द्राज किया हुआ है। जबकि सही व वास्तविक नाम श्रीराम पुत्र छीतर है। वादी के नाम के लिए खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उदघोषणा करवाने एवं इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई तब से वाद कारण शुरू होकर आज तक निरन्तर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुआ। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से भी प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पालडी पठानान की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 136 खसरा नम्बर 96, 97, 98 रकबा 2.6129 हैक्टेयर वादी का हिस्सा 7/96 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, खाता संख्या 98 खसरा नम्बर 203, 429/203 रकबा 2.9124 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 7/24 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, खाता संख्या 134 खसरा नम्बर 366/30 रकबा 2.9933 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 9/592 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, खाता संख्या 132 खसरा नम्बर 227 रकबा 0.0728 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 7/96 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार व खाता संख्या 242 खसरा नम्बर 99 रकबा 0.5015 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा 7/96 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार दर्ज है। वादी का वाद स्वीकार कर रिकार्ड में वादी का नाम हरिराम पुत्र छीतर के स्थान पर श्रीराम पुत्र छीतर दर्ज किया जाता है तो किसी तरह का राजहित प्रभावित नहीं होता है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पालड़ी पठानान के खसरा नम्बरान 96, 97, 98, 203, 429/203, 366/30, 227 व 99 में वादी के दर्ज नाम हरिराम पुत्र छीतर के स्थान पर श्रीराम पुत्र छीतर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:23 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 08/2021

1. श्रीराम पुत्र छीतर जाति गुर्जर आयु 66 वर्ष, निवासी पालड़ी पठानान तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान

.........वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा. का. अधि. एवं धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पालड़ी पठानान के खसरा नम्बरान 96, 97, 98, 203, 429/203, 366/30, 227 व 99 में वादी के दर्ज नाम हरिराम पुत्र छीतर के स्थान पर श्रीराम पुत्र छीतर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 05.10.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.10.20 18:08:23 IST
Reason: SelfAttested